No. 49/16/2012-6SII
GOVERNMENT OF HARYANA
CHIEF SECRETARY'S OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT

Dated, Chandigarh, the 16th March, 2012.

To

As per list enclosed.

Subject:- Recruitment to one GCS post of Adviser (Labour, Employment & Manpower) in Planning Commission on Promotion/ Deputation (including short-term contract)/ Direct Recruitment basis.

****

Madam /Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of letter No.A-12025/03/2012-Adm.I, dated 30th January, 2012 received from Government of India, Planning Commission, New Delhi on the subject noted above and to request that in case you are willing to be considered for the post mentioned in the above subject you may kindly send three copies of your bio-data to the Personnel Department (Services Branch-II) at the earliest.

Yours faithfully,

(PAWAN SHARMA)
Superintendent Services-II.

INTERNAL DISTRIBUTION
e-champion

LIST

Sr.No.	Name of the Officer S/Shri/Smt.	Batch	Present Posting
1.	T.C. Gupta,IAS	1987	Director General-cum-Special Secretary, Town & Country Planning.,Urban Estates.
2.	S.N. Roy,IAS	1987	Special Secretary to Govt., Haryana, Administrative Reforms Department.
3.	Avtar Singh, IAS	1987	Director General, Technical Education, Director General -cum-Special Secretary, Environment Department
4.	Rajiv Arora,IAS	1987	M.D,HSIIDC and MD,Haryana Financial Corporation
5.	Tarun Bajaj,IAS	1988	Managing Director, Haryana Vidyut Prasaran Nigam, Special Secretary, Power Department and Director General, Power Reforms,Haryana
6.	T.V.S.N.Prasad, IAS	1988	Chief Administrator, Haryana Agriculture Marketing Board, Panchkula.
7.	Mahavir Singh, IAS	1989	Special Secretary Finance and Director General -cum-Special Secretary, Employment Department
8.	Arun Kumar, IAS	1989	Director General, State Transport, Haryana, Adviser, Civil Aviation, Haryana and Special Secretary, Civil Aviation and Transport Departments & Director General, Renewable Energy, Haryana
9.	Shiv Raman Gaur, IAS	1989	Director General -cum- Spl. Secretary, Information, Public Relations & Cultural Affairs and Grievances Departments and Additional Principal Secretary to CM.
10.	Krishan Kumar,IAS	1989	M.D.,Haryana Warehousing Corporation
11.	Sudhir Rajpal,IAS	1990	Commissioner, M.C.,Gurgaon.
12.	Sumita Misra, IAS	1990	CEO, Haryana, Commissioner & Secretary to Govt., Haryana, Elections Department
13.	Ankur Gupta,IAS	1990	Managing Director, HARTRON, Special Secretary, Electronics & Information Technology and Director, Information Technology, Haryana
14.	Anurag Rastogi,IAS	1990	Excise and Taxation Commissioner, Haryana and Special Secretary, Excise & Taxation Department.
15.	Anand Mohan Sharan, IAS	1990	Additional Resident Commissioner, Haryana Bhawan, New Delhi and Administrator, TFAH, Director General -cum-Special Secretary, Development & Panchayats Department. and Managing Director, Haryana Tourism Corporation and Director General-cum-Special Secretary, Tourism & Hospitality Departments.
16.	Satwanti Ahalawat,IAS	1990	Labour Commissioner, Haryana and Special Secretary to Govt. Haryana, Labour Department.
17.	Sant Kumar, IAS	1990	Transport Commissioner,Haryana and Special Secretary, Transport Deptt. and Secretary O/o Lokayukta, Haryana
18.	Ashok Khemka,IAS	1991	Director General-cum-Spl. Secy., Social Justice & Empowerment.
19.	Vineet Garg,IAS	1991	Special Secretary, Personnel, Training, Vigilance and Parliamentary Affairs Departments, Director General, Training (ex-officio) and Science & Technology, Haryana and Inquiry Officer, Vigilance, Haryana.
20.	Anil Malik,IAS	1991	M.D.HAFED
21.	Sandeep Garg,IAS	1991	MD,HLRDC and Special Secretary, Agriculture Department
22.	A.K. Singh, IAS	1991	M.D.,Uttar Haryana Bijli Vitaran Nigam,Panchkula, Additional M.D. Haryana Vidyut Prasarn Nigam Ltd.
23.	H. S Malik, IAS	1991	Special Secretary, Revenue & Disaster Management-II Department, Director General, Consolidation of Holdings, Land Records,Hr, Spl. Collector(H.Q.) and Special LAO, Hr.
24.	Vimal Chandra,IAS	1991	Managing Director, Federation of Cooperative Sugar Mills Ltd. (Sugarfed), Panchkula.
25.	Phateh Singh,IAS	1991	Director General -cum-Special Secretary, Archives and Archaeology & Museums Department.

26.	Arun Kumar Gupta, IAS	1992	Director General, Food & Supplies, Haryana and Special Secretary to Govt. Haryana, Food & Supplies Deptt. & MD, CONFED
27.	Pushp Raj Singh,IAS	1992	Special Secretary Home-I Department
28.	D.P. S. Nagal,IAS	1992	Chief Administrator, Haryana Urban Dev. Authority, Panchkula and Director General-cum-Special Secretary, Urban Local Bodies and Project Dir, Swaran Jayanti Shehri Rozgar Yojna and State Urban Dev. Society,Hr.
29.	Mohinder Kumar,IAS	1992	Secretary to Governor,Haryana
30.	Ashok Kumar Yadav, IAS	1993	Director General -cum-Special Secretary, Agriculture
31.	T. K. Sharma,IAS	1993	Special Secy, Animal Husbandry & Dairying Department, Commr, Gurgaon Div.sion, Gurgaon, Spl. Commissioner, Health & Nutrition, Chairman, Mewat Dev.Agency and assisting Dr. N.C.Saxena, who has been appointed Commissioner by Hon'ble Supreme Court in PUCL Vs UOI & Ors (W/P) © 196 of 2001
32.	Balbir Singh Malik,IAS	1993	Director General-cum-Special Secretary,Higher Education
33.	S. K. Goyal, IAS	1993	Special Secretary, Irrigation and MD, HSMITC.
34.	R.P. Gupta,IAS	1993	Commissioner, Ambala Division, Ambala
35.	Anurag Agarwal,IAS	1994	Managing Director,Haryana Power Generation Corporation Ltd., M.D.,Dakshin Haryana Bijli Vitaran Nigam, Hisar and Addl.M.D.,HVPN.
36.	R S Doon,IAS	1994	Deputy PSCM
37.	Suprabha Dahiya,IAS	1994	Commissioner, Rohtak Division, Rohtak and Commissioner, Hisar Division, Hisar.
38.	Vijayendra Kumar,IAS	1995	M.D., Haryana Agro Industries Corporation.
39.	D. Suresh, IAS	1995	M.D.Haryana Minerals Ltd, New Delhi and Commissioner,M.C., Faridabad
40.	Chander Parkash,IAS	1995	Administrator,HUDA, Rohtak
41.	Chhajju Ram Rana,IAS	1995	Special Secretary,Health Department and Mission Director, National Rural Health Mission, Commissioner, Food & Drugs Administration, Haryana and M.D.,Haryana Dairy Development Cooperative Federation Ltd.
42.	Rajbir Singh,IAS	1995	Special Secy. to Govt., Haryana, Secretariat Establishment and Monitoring & Coordination.
43.	Subhash Chandra,IAS	1995	Director General-cum-Spl.Secy.Welfare of SCs & BCs Department and M.D., Haryana SCs Finance Dev.Corpn. Ltd. and M.D. BCs & Economically Weaker Sections Kalyan Nigam.
44.	Neelam P. Kasni,IAS	1996	Deputy Commissioner,Karnal andCommissioner, M.C.Karnal
45.	Rakesh Gupta,IAS	1997	Joint Secretary, Planning Department and Deputy Commissioner, Faridabad
46.	Y.S.Khyalia, IAS	1997	Deputy Commissioner,Jind

हरियाणा सिविल सचिवालय
चण्डीगढ़
02 MAR
18960

सं. ए-12025/03/2012-प्रशासन-1
भारत सरकार
योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 2012

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभागों / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों / विश्वविद्यालय,

Chief Secretary's Office Haryana Receipt No. 18960 Dtd.

विषय :- योजना आयोग में सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति) का एक पद पर पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिस में अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) / सीधे भर्ती द्वारा भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (जिस में अल्पावधिक अनुबंध शामिल है) अथवा सीधे भर्ती के तीनों पद्धतियों में से कोई एक के द्वारा सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति)के एक पद को भरने का प्रस्ताव है । उक्त पद हेतु योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं और सभी आवेदनों पर एक-साथ विचार किया जायेगा । नियुक्ति के लिए अधिकारी की उपयुक्तता और उपलब्धता के आधार पर चयन के समय नियुक्ति का सही-सही तरीका निश्चित किया जाएगा । उक्त पद योजना आयोग में सामान्य केन्द्रीय सेवा (संवर्ग बाह्य) के समूह 'क' के पद है और इन्हे एस.ए.जी. स्तर पर अथवा एच.ए.जी. स्तर पर भरा जा सकता है ।

2. केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारी तथा विभागीय संयुक्त सलाहकार, जो अनुबंध में दिए गए शर्तें पूरी करते हैं, एक साथ विचार किया जाएगा । यदि कोई विभागीय अतिरिक्त सलाहकार/ संयुक्त सलाहकार नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो उनकी नियुक्ति प्रोन्नति पर मानी जाएगी । अन्य अभ्यर्थियों के संबंध में उन पर प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे भर्ती के लिए, जैसी स्थिति हो, विचार किया जाएगा ।

3. पद से संबंधित वेतनमान, पात्रता की शर्तें, अर्हताएं एवं अनुभव तथा पद से संबद्ध कार्यों का विवरण अनुलग्नक में दर्शाए गए हैं ।

4. केन्द्र या राज्य सरकारों के मंत्रालयों या विभागों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध है कि इस रिक्ति को अपने अधीन कार्यरत समुचित स्तर के सरकारी उपक्रमों या अर्ध सरकारी या सांविधिक एवं स्वायत्त संगठनों तथा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों सहित, सभी अधिकारियों के लिए व्यापक प्रचार करें ।

5. उन अधिकारियों के आवेदनों को जो पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों और जिन्हें चयन की सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के अंतर्गत कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त किया जा सकता हो, उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षर करवा कर तथा कार्यालय प्रधान या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया गया प्रासंगिक प्रपत्र अर्थात् परिशिष्ट 1 अथवा परिशिष्ट 2 में, यथा प्रासंगिक, पूर्ण रूप से भरकर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित (दो प्रतियों में) अग्रेषित किया जाए :-

(i) संबंधित उम्मीदवार का अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियॉं जो कि एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों,

-/-

Services Branch
Diary No. 20727
Date 9/3/12

(ii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया (निर्धारित प्रपत्र में) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र,

(iii) सतर्कता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है (केवल ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन भेजें जो सतर्कता दृष्टि से मुक्त हो), तथा

(iv) विगत 10 वर्षों के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े / छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो अथवा दंड नहीं प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रपत्र में), यथा प्रयोज्य ।

6. कृपया यह ध्यान में रखा जाए कि परिशिष्ट-1 उनके लिए है जो सीधे भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते है, जबकि परिशिष्ट-2 उनके लिए है जो पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं । यदि कोई उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति और सीधे भर्ती दोनों के लिए आवेदन करना चाहते है तो वे सुसंगत प्रपत्र में अलग-अलग आवेदन भेजेंगे ।

7. यह रिक्ति रोजगार समाचार में भी शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी । आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन होगी ।

8. इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी-14017/89/2007-स्थापना (आर.आर.) के अनुसार एक बार आवेदन करचुके अभ्यर्थी पर विचार करने के बाद नियुक्ति के लिए मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति द्वारा के आमोदन हो जाने पर यदि उक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते है, तो उस के बाद अपने मूल कैडर के बाहर के पद के लिए उस अभ्यर्थी का कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9. आवेदन कर्ता यह सुनिश्चित करें कि उनका आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में है तथा पूर्णरूप से भरा हुआ हो। प्रपत्र का कोई भी स्तंभ खाली नहीं होना चाहिए । यदि कोई सूचना अप्रयोज्य या शून्य हो तो कृपया इसे स्पष्ट करें । केवल उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो संपूर्ण हों और अपेक्षित दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा अंतिम तिथि या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हों । अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा गैर-प्रपत्र अथवा असंपूर्ण अथवा अग्रिम आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

(जी. राजीव)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष एवं फैक्स : 23096531

सूचनार्थ प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष / योजना राज्य मंत्री/ सभी सदस्य/ सदस्य-सचिव/ प्रधान सलाहकार, योजना आयोग के निजी सचिव, योजना आयोग
2. सभी प्रभागाध्यक्ष / सलाहकार (प्रशासन), योजना आयोग

(जी. राजीव)
अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक

योजना आयोग में सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति) का एक को पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक अनुबंध सहित) अथवा सीधे भर्ती द्वारा भरने के लिए पात्रता की शर्तों का ब्यौरा :-

1. वेतनमान :

वेतन बैण्ड 4 : 37400-67000 रू. में ग्रेड पे रू.10000/- **अथवा** एच.ए.जी. वेतन मानः रू.67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% के साथ)- रू.79000/- (नियुक्ति के लिए चयन किए गए अधिकारी की अर्हताएं तथा अनुभव के आधार पर चयन के समय सही-सही वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा)

2. पद से संबद्ध कार्य :

पदधारी, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान तथा योजना आयोग के रोजगार, श्रम और जनशक्ति योजना एककों के लिए समूह समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । वे उक्त क्षेत्रों से संबंधित मामलों में तथा उनके अधीन उक्त एककों में चल रहे अनुसंधान अध्ययनों में मार्गदर्शन करेंगे ।

3. अर्हता निर्णय करने के लिए अंतिम तिथि :

पद के लिए अर्हता निर्णय करने के लिए निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि होगी ।

4. अर्हताएं :

क. **10000/- रू. ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4 : 37400-67000 रू. के लिए :**

क 1. **पदोन्नति के लिए :**

8700/- रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू. में ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकार जिन्होने उक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हो और मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

क 2. **प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के लिए**

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों (जिसके अंतर्गत उनसे संबद्द और अधीनस्थ कार्यालय भी है) या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो -

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या

-/-

(ii) मूल काडर या विभाग में 8900 रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा की हों, या

(iii) मूल काडर या विभाग में 8700 रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हों, और

(ख) मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शीर्ष स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच वर्ष सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निदेशक के स्तर के तुल्य हो)।

2. किसी विश्वविद्यालय के ऐसे सह-आचार्य, जिन्होंने 9000 रू. के अकादमी ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों में मूल संगठन में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास मद संख्या 5 में दिये गए सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

क 3 <u>सीधे भर्ती के लिए</u>

कोई और ऐसे उम्मीदवार जो मदं संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखें हों।

ख. <u>एच.ए.जी. वेतन मान : 67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% के साथ)-79000 रू के लिए :</u>

ख 1. <u>पदोन्नति</u>

10000/- रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू. में ऐसे विभागीय सलाहकार जिन्होने उक्त ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा की हों और मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

ख 2. <u>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित)</u>

1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या लोक उपक्रमों या अर्धसरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी जो -

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों, या

(ii) मूल काडर या विभाग में 10000 रू. के ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हों, या

-/-

(ख) मद संख्या 5 में दिए गए सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव से तुल्य स्तर से कम का न हो, उसको निरन्तर तीन वर्ष के लिए कर्तव्यों और दायित्वों के निबंधनों में शीर्ष स्तर प्रबंधकीय स्थिति धारण करना चाहिए)।

2. किसी विश्वविद्यालय के ऐसे आचार्य, जिन्होंने 10000 रू. के अकादमी ग्रेड पे के साथ वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू वाले पदों में मूल संगठन में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास मद संख्या 5 में दिये गए सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

ख 3 सीधे भर्ती के लिए

कोई और ऐसे उम्मीदवार जो मद संख्या 5 में दिए गए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखेते हों ।

5. **पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव (सभी प्रकार की भर्ती पद्धतियों अर्थात् पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) / सीधे भर्ती के लिए प्रयोज्य) (अर्हता निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि की स्थिति के अनुसार) :**

अनिवार्य:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य; और

(ii) श्रम या रोजगार या जनशक्ति सैक्टरों के क्षेत्र में अनुसंधान या विकास या योजना या परियोजनाओं या कार्यक्रमों के मूल्यांकन में समुह 'क' या समतुल्य स्तर पर, वेतन बैण्ड 4: 37400-67000 रू. और ग्रेड वेतन 10000 रू. के लिए 17 वर्ष का अनुभव (पीएच.डी. धारकों के लिए) या 20 वर्ष का अनुभव (एम. फिल. या मास्टर डीग्री धारकों के लिए) और एच.ए.जी. वेतनमान 67000-79000 रू. के लिए 25 वर्ष का अनुभव (पीएच.डी. धारकों के लिए) या 28 वर्ष का अनुभव (एम. फिल. या मास्टर डीग्री धारकों के लिए) ।

टिप्पण: पदधारी को श्रम विधियों या समस्याओं से अवगत होना चाहिए, उसं जनसंख्या, सांख्यिकी और रोजगार समस्या पर उसके प्रभाव की जानकारी होना चाहिए और समस्या पर उनका समाधान और युक्ति रोजगार वृद्धि स्कीमों पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त योजना शैली और नीति विकसित करने की योग्यता होनी चाहिए ।

वांछनीय:

(i) अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में डाक्टरेट डिग्री; या

(ii) उस क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान कार्य का साक्ष्य ।

-/-

6. आयु सीमा (आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि को) :

(1) पदोन्नति पर नियुक्ति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है । यद्यपि, सभी औपचारिकतएँ / अनुमोदन पूरे होने के बाद अंतिम नियुक्ति की तिथि को अभ्यर्थि का सेवा में रहते रहना आवश्यक है ।

(2) प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की तिथि को 56 वर्ष ।

(3) सीधे भर्ती पर नियुक्ति के लिए अधिमानतः 50 वर्ष से कम (सरकारी कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्षों तक की छूट दी जाएगी) ।

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में अथवा किसी संवर्ग बाह्य पद पर इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की शर्तें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.6/8/2009-स्था.(पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में, शर्तें संबद्ध प्राधिकरण के परामर्श से तय की जाएंगी ।

परिशिष्ट-I

सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति) के पद मे सीधे भर्ती के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन दो प्रतियों में फोटोप्रति कागज (ए-4 साईज) पर (शुद्ध रूप से टंकण किया गया) निम्न विवरणों को देती हुई, होनी चाहिए । (आवेदनकर्ता अपनी अवेदन में यह बात स्पष्ठ रूप से प्रकट करें कि वे रू.10000 ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड 4 : रू.37400-67000 के लिए आवेदन कर रहे हैं अथवा रू.67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% के साथ)- 79000 वाले एच.ए.जी. के लिए आवेदन कर रहे हैं । कोई स्पष्ट सूचना न होने की स्थिति में आवेदन को निम्नस्तर अथवा रू.10000 ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड 4 : रू.37400-67000 के लिए विचार किया जाएगा)

पासपोर्ट आकार की फोटो चिपका कर हस्ताक्षर करें ।

1. आवेदित वेतनमान
2. पूरा नाम
3. जन्म तिथि
4. राष्ट्रीयताद्र
5. पिता / पति का नाम
6. पत्राचार के लिए पता और दूरभाष संख्या, यदि कोई हो तो
7. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति से संबंधित हैं
8. शैक्षिक / व्यावसायिक अर्हताएं (उत्तीर्ण परीक्षा, विश्वविद्यालय / बोर्ड, उत्तीर्ण करने का वर्ष, श्रेणी / डिविज़न, विषय इत्यादि के बारे में स्पष्ट करें)

-/-

9. वर्तमान में धारित पद से शुरू करते हुए, वर्तमान / पूर्व रोजगार का कालानुक्रमिक विवरण (नियोजक का नाम, पूरा पता, धारित पद, सेवा अवधि, कार्य स्वभाव इत्यादि सहित)
10. प्रकाशित प्रतिवेदन / लेख
11. चुने जाने पर पदभार ग्रहण करने के लिए वांछित न्यूनतम कालावधि
12. उल्लेख सहित और कोई अन्य सूचना जो देना चाहे

तिथि : हस्ताक्षर
स्थान :

परिशिष्ट-II

सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति) के पद मे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) के लिए आवेदन प्रपत्र

(आवेदनकर्ता अपनी अवेदन में यह बात स्पष्ठ रूप से प्रकट करें कि वे रू.10000 ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड 4 : रू.37400-67000 के लिए आवेदन कर रहे हैं अथवा रू.67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि 3% के साथ)- 79000 वाले एच.ए.जी. के लिए आवेदन कर रहे हैं । कोई स्पष्ट सूचना न होने की स्थिति में आवेदन को निम्नस्तर अथवा रू.10000 ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैण्ड 4 : रू.37400-67000 के लिए विचार किया जाएगा)

आवेदित वेतनमान

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. अधिकारी पर लागू सेवा नियमों के अनुसार सेवा निवृत्ति की तिथि
4. (क)यदि संगठित सेवा से संबद्ध हैं, तो उसका नाम, संवर्ग आबंटन का सन (ख)संवर्ग नियंत्रण प्राधीकरण का नाम
5. शैक्षिक अर्हताएं :

निर्धारित अर्हताएं	अधिकारी द्वारा धारित अर्हताएं (केवल उन्हीं अर्हताओं को दर्शाएं जो निर्धारित अर्हताओं के समकक्ष हो अथवा उच्च हो)
आवश्यक(1)	
(2)	
(3)	
वांछनीय (1)	
(2)	
(3)	

टिप्पणी : यदि अधिकारी की अर्हता वही नहीं है जो निर्धारित है या निर्धारित अर्हता से उच्च है और निर्धारित अर्हता के समतुल्य मानी जाती है, तो उस संबंध में प्राधीकरण का नाम बताएं ।

6. अधिकारी ने यदि कोई प्रशिक्षण लिया हो जिसका आवेदन किए गए पद से संबद्ध हो

संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि से	तक	संगठन का नाम जहॉं प्रशिक्षण लिया	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्वरूप	अभ्युक्तियॉं

7. (1) वर्तमान पद जिस पर कार्यरत हैं
(2) पूरा वेतनमान -/-

(3) वर्तमान वेतन यदि कोई है
(4) विशेष वेतन यदि कोई है

टिप्पणी : यदि अधिकारी कोई विशेष वेतन प्राप्त करता है तो कृपया निम्नलिखित सूचना भी दी जाए :

(क) क्या विशेष वेतन से जुड़ी हुई नियुक्ति सावधि नियुक्ति है, तथा
(ख) क्या विशेष वेतन पद के लिए अलग वेतनमान के लिए वेतनमान के अतिरिक्त विशेष रूप से स्वीकृत किया गया है

(5) क्या आप इस पद पर नियमित या तदर्थ आधार पर अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं ?
(6) किस तारीख से इस पद पर हैं ?
(7) यदि नियमित वर्तमान पद पहले तदर्थ आधार पर है तो पद पर नियमित होने का तारीख

8. यदि वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नहीं हैं तो

(क) नियमित आधार पर धारित पद
(ख) उसका वेतनमान
(ग) किस तारीख से नियमित आधार पर हैं

9. पद जिस पद पर आधिकारी स्थाई क्षमता धारित करता है

10. 1. यदि वर्तमान पद समकक्ष है तो

(क) क्या वर्तमान पद कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 07-03-1984 के का.ज्ञा.सं.19017 / 27 / 75-स्थापना(डी)-भाग की शर्तों के अनुसार एक सदृश पद है
(ख) पद से संबद्ध कार्य
(ग) यदि वर्तमान पद जिसे एक सदृश पद माना गया है गैर-केन्द्रीय सरकारी कार्यालय में है, तो इस संबंध में निम्नलिखित सूचना दी जाए :

(1) वेतनमान के पिछले संशोधन की तारीख
(2) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ता / औद्योगिक महंगाई भत्ता मिलता है
(3) वेतनमान के न्यूनतम पर ग्राह्य महंगाई वेतन इत्यादि की धनराशी

- महंगाई वेतन
- महंगाई भत्ता
- अंतरिम राहत

2. यदि वर्तमान पद एक सदृश पद नहीं है तो

(क) दिनांक जिससे 14300-18300 रू. / 16400-2000 रू. / 18400-22400 रू. या 16400-22400 रू. (प्रोफेसरों के संबंध में) संशोधन-पूर्व वेतनमान का पदभार ग्रहण किया
(ख) यदि उम्मीदवार किसी गैर सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो

(1) पूर्ण संशोधन-पूर्व वेतनमान जो कि दिनांक जिससे 14300-18300 रू. / 16400-2000 रू. / 18400-22400 रू. या 16400-22400 रू. (प्रोफेसरों के संबंध में) वेतनमान के समकक्ष हो
(2) वेतनमान की अंतिम संशोधन की तारीख
(3) क्या केन्द्रीय महंगाई भत्ता / औद्योगिक महंगाई भत्ता मिता है
(4) वेतनमान के न्यूनतम पर ग्राह्य महंगाई वेतन इत्यादि की धनराशी

- महंगाई वेतन
- महंगाई भत्ता
- अंतरिम राहत

-/-

11. सेवाओं का विवरण :

पद का नाम	न्योक्ता का नाम	अवधि		वेतनमान	कार्यभार का स्वरूप
		से	तक		

12. चयन क्षेत्र में आवश्यक अनुभव

टिप्पणी : कृपया अनुसंधान / विकास / अभिकल्पना / योजना में अथवा परियोजनाओं / योजनाओं के प्रतिपादन / कर्यानिषापादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के प्रकाशित कार्य की प्रतियों को प्रस्तुत करें ।

13. पिनकोड एवं दूरभाष सहित वर्तमान डाक पता

14. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंध है

15. अन्य संबंध्द सूचना

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्रेषित करने वाले कार्यालय के प्रयोग के लिए

सं. : दिनांक :

उपरोक्त इंदराजों की जांच की गई है और इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सही पाए गए हैं ।

हस्ताक्षर :

नाम :

कार्यालय की मोहर :

<u>मुख्य टिप्पणी :</u> आवेदक अपने इच्छा के अनुसार प्रतिनियुक्ति अथवा सीधे भर्ती के लिए निर्धारित अलग अलग प्रोफार्मो में से प्रत्येक मामले में लागु प्रोफार्मो में अपना आवेदन (दो प्रतियों में) भेजेंगे । प्रतिनियुक्ति और सीधे भर्ती दोनों के लिए विचारार्थ आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन सुसंगत और उपयुक्त प्रपत्र में अलग अलग भेजेंगे और आवेदन कर्ता अपने आवेदन के ऊपरी पंक्ति में यह सुस्पष्ठ लिखें कि वे किस पद्दति के लिए आवेदन करना चाहते हैं ।

प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए अपेक्षित प्रमाणपत्रों के प्रपत्र

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

योजना आयोग में सलाहकार ( ) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/सुश्री ______________________ के वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की संवीक्षा करने के बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा संतोषजनक है ।

(उप सचिव या उससे उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए)नाम और कार्यालय की मोहर :

दिनांक :

-/-

सतर्कता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (   ) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके, डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री ______________________ के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

दंड नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग में सलाहकार (   ) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके डा/श्री/श्रीमती/ सुश्री ______________________ पर पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई दंड नहीं लगाया गया ।

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम और कार्यालय की मोहर :
दिनांक :

******